

Handwritten text at the top of the page.

प्रेषिका,

हिना कौसर  
अपर सिविल जज  
कक्ष संख्या-13, इलाहाबाद  
आई.डी.नं.- यू-पी 3295

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक  
माननीय उच्च न्यायालय  
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायालय  
इलाहाबाद।

विषय-

विधि स्नात्कोत्तर न्यायिक अधिकारी को अग्रिम वेतन वृद्धि  
दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थिनी हिना कौसर उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा वर्ष 2018 में निमुक्त होकर दिनांक 17.12.2019 से जनपद न्यायालय इलाहाबाद में अपर सिविल जज कनिष्ठ श्रेणी कक्ष संख्या 13 के पद पर अपना योगदान दिया है एवं वर्तमान में समय कार्यरत है। प्रार्थिनी सेवा में योगदान से पूर्व वर्ष 2013-2014 में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बंगलूरु (National Law School of India University Bangluru) से विधि स्नात्कोत्तर उत्तीर्ण कर चुकी है।

प्रार्थिनी के सेवा में योगदान उपरान्त अवगत हुआ है कि शासनादेश संख्या 136/दो-4-2009-46(12) टी.सी. दिनांक 13 मई 2019 एवं सहपठित शासनादेश पत्रांक संख्या 1707/दो-4-2011-45 (12) टी.सी. दिनांक 3.1.2013 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा में अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थिनी को नियमानुसार तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करने की कृपा की जाए।

Office of the District Judge, Allahabad  
Letter No. 126/20

Dated 19.11.20  
Forwarded 18.11.2020  
District Judge, Allahabad

भवदीय

Heena Kausar  
(हिना कौसर) 18.11.2020

अपर सिविल जज(क.श्रे.)  
कक्ष संख्या 13 इलाहाबाद।

संलग्नक-

- 1- विधि स्नात्कोत्तर की अंतिम वर्ष का अंक पत्र की प्रति।
- 2- विधि स्नात्कोत्तर उपाधि की प्रति